दिनांक 08 सितंबर, 2020 कौशल या उद्यमिता प्रशिक्षण संस्थानों, उच्च शिक्षण संस्थानों में कोविड–19 के प्रसारण रोकने के लिए निवारक उपायों पर मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)

दिनांक 8 सितंबर, 2020

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय
(ईएमआर डिवीजन)

कौशल या उद्यमिता प्रशिक्षण संस्थानों, उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रयोगशाला/प्रायोगिक कार्य की आवश्यकता वाले तकनीकी और व्यावसायिक कार्यक्रमों में स्नातकोत्तर अध्ययन और डॉक्टरेट (डॉक्टर की उपाधि) पाठ्यक्रम के तहत कोविड-19 का प्रसारण रोकने के लिए निवारक उपायों पर मानक संचालन प्रक्रिया।

1. पृष्ठभूमि

भारत सरकार निम्नलिखित गतिविधियों के संचालन के लिए चरणवार तरीके से लॉकडाउन खोल रही है। आने वाले दिनों में कौशल या उद्यमिता प्रशिक्षण संस्थानों तथा प्रयोगशाला/प्रायोगिक कार्य की आवश्यकता वाले तकनीकी और व्यावसायिक कार्यक्रमों में स्नातकोत्तर अध्ययन और डॉक्टरेट (डॉक्टर की उपाधि) पाठ्यक्रम आयोजित करने वाले उच्च शिक्षण संस्थानों में गतिविधियों की बहाल की जाएगी।

विस्तार

इस एसओपी का उद्देश्य कौशल या उद्यमिता प्रशिक्षण संस्थानों में अध्यापन/प्रशिक्षण तथा प्रयोगशाला/प्रायोगिक कार्य की आवश्यकता वाले तकनीकी और व्यावसायिक कार्यक्रमों के तहत स्नातकोत्तर अध्ययन और डॉक्टरेट (डॉक्टर की उपाधि) पाठ्यक्रम आयोजित करने वाले उच्च शिक्षण संस्थानों में गतिविधियों की सुरक्षित बहाली करना है।

यथासंभव राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम या राज्य कौशल विकास मिशनों या भारत सरकार या राज्य सरकार के अन्य मंत्रालयों, राष्ट्रीय संस्थान के साथ पंजीकृत लघु प्रशिक्षण केंद्रों तथा उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास (एनआईईएसबीयूडी), भारतीय उद्यमिता संस्थान (आईआईई), और उनके प्रशिक्षण प्रदाताओं सहित उद्यमिता प्रशिक्षण की अनुमति दी गई है।

इसी प्रकार प्रयोगशाला/प्रायोगिक कार्यों की आवश्यकता वाले तकनीकी और व्यावसायिक कार्यक्रमों और पीएचडी पाठ्यक्रम आयोजित करने वाले उच्च शिक्षण संस्थानों को गृह मंत्रालय (एमएचए) के परामर्श से उच्च शिक्षा विभाग द्वारा गतिविधियों के संचालन की अनुमति दी जाएगी।

यह एसओपी कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए इन संस्थानों में किए जाने वाले विशिष्ट उपायों के अलावा अपनाए जाने वाले विभिन्न सामान्य एहतियाती उपायों की रूपरेखा तैयार करती है।

– सामान्य नियम

कोरोना निवारक उपायों में सरल जन स्वास्थ्य उपाय शामिल हैं, जिनका कोविड-19 के जोखिम को कम करने के लिए पालन किया जाना चाहिए। इन समस्त उपायों का (संकाय, कर्मचारियों, विद्यार्थियों और आगंतुकों) हर समय हर जगह पर पालन किया जाना चाहिए। इसमें निम्नलिखित शामिल है:

1. जहां तक संभव हो कम से कम छह फीट की शारीरिक दूरी का पालन किया जाना चाहिए

2. अनिवार्य रूप से फेस कवर/मास्क का उपयोग किया जाना चाहिए।

3. हाथ गंदे न होने पर भी साबुन से कम से कम (कम से कम चालीस से साठ सेकंड तक) हाथ धोए तथा जहां भी संभव हो, अल्कोहल-आधारित हैंड सैनिटाइज़र (कम से कम बीस सेकंड तक) का उपयोग किया जाना चाहिए।

4. श्वसन शिष्टाचार का सख्ती से पालन किया जाए। खांसते या छींकते समय नाक और मुंह को टिश्यु/रूमाल/कोहनी को मोड़कर ढका जाना शामिल है। उपयोग के उपरांत टिश्यु का सुरक्षित निपटान आवश्यक है, जिसके लिए टिश्यु को ढकन लगे कचरे के डिब्बे में फैंका जाना चाहिए।

5. सबको अपने स्वास्थ्य की स्व-निगरानी करनी चाहिए तथा किसी भी रोग से पीड़ित होने की सूचना 'संपर्क सूत्र' को देनी चाहिए।

6. थूकना सख्त वर्जित होगा।

7. जहां भी संभव हो, आरोग्य सेतु ऐप को इंस्टॉल किया जाना चाहिए और उसके उपयोग की सलाह दी जानी चाहिए।

कौशल या उद्यमिता प्रशिक्षण संस्थानों का संचालन करने वाले सभी संस्थान, डॉक्टरल पाठ्यक्रम और स्नातकोत्तर अध्ययन आयोजित करने वाले उच्च शिक्षण संस्थान निम्नलिखित व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे:-

1. ऑनलाइन/दूरस्थ शिक्षा की अनुमति दी जाएगी और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा।

2. दिनांक 21 सितंबर 2020 से प्रभावी कौशल या उद्यमिता प्रशिक्षण की अनुमति दी जाएगी।

3. पीएचडी या तकनीकी और व्यावसायिक कार्यक्रमों का संचालन करने वाले उच्च शिक्षण संस्थान की आवश्यकता होती है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रयोगशाला/प्रायोगिक कार्यों की अनुमति दी जाएगी। एसओपी में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार एमएचए के साथ कड़ाई से निम्नलिखित निर्देशों का पालन करना।

4.1 संस्थानों को खोलने से पहले

क) संस्थानों को दोबारा खोलने की योजना

क. कौशल या उद्यमिता प्रशिक्षण संस्थानों का संचालन करने वाले संस्थान, डॉक्टरेट पाठ्यक्रम और स्नातकोत्तर अध्ययन आयोजित करने वाले उच्च शिक्षण संस्थानों को केवल तभी खोलने की अनुमति दी जाएगी, जब वे कंटेनमेंट जोन से बाहर होगें। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन में रहने वाले विद्यार्थियों और कर्मचारियों को संस्थान में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। छात्रों और कर्मचारियों को यह भी सलाह दी जाएगी, कि वे कंटेनमेंट जोन के भीतर आने वाले क्षेत्रों का दौरा न करें।

ख. गतिविधियों की बहाली से पहले, कौशल या उद्यमिता प्रशिक्षण, छात्रावासों, प्रयोगशालाओं, अन्य सामान्य उपयोगिता क्षेत्रों सहित कौशल या उद्यमिता प्रशिक्षण, डॉक्टरेट पाठ्यक्रमों और स्नातकोत्तर अध्ययनों के संचालन के लिए सभी कार्य क्षेत्रों को एक प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराइट से साफ किया जाएगा, जिसमें अक्सर छुए जाने वाली सतहों को विशेष रूप से साफ़ किया जाएगा।

ग. जहां कहीं भी उपकरणों पर कौशल आधारित प्रशिक्षण का उपयोग करने की परिकल्पना की गई है, वहां उपकरण को छह फीट के अलावा, जहां भी संभव हो, शारीरिक दूरी पर रखा जाएगा। इसी तरह उपकरणों को बरामदा, आंगन, अहाते आदि जैसे स्थानों में स्थानांतरित करके इन रिक्त स्थानों का उपयोग किया जाएगा।

घ. बायोमेट्रिक उपस्थिति के बजाय संपर्क रहित उपस्थिति के विकल्प की व्यवस्था की जाए।

ड. कतार प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए, परिसर के अंदर और बाहर, फर्श पर छह फीट के अंतराल विशिष्ट चिह्न बनाए जाएगें और उनका पालन कराना आवश्यक है।

च. किसी भी आपातकालीन स्थिति के संबंध में संस्थान को संकाय/प्रशिक्षुओं/कर्मचारियों के संपर्क के लिए राज्य हेल्पलाइन नंबर और स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकरणों आदि के नंबर भी प्रदर्शित करने चाहिए।

छ. एयर कंडीशनिग/वेंटिलेशन के लिए सीपीडब्ल्यूडी के दिशा–निर्देशों का पालन किया जाएगा जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है, कि सभी एयर कंडीशनिग उपकरणों की तापमान सेटिग 24-30Co सी की सीमा में होनी चाहिए, सापेक्ष आर्द्रता 40-70% की सीमा में होनी चाहिए, शुद्ध वायु के लिए जितना संभव हो उतना, क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए।

ज़. शारीरिक दूरी का पालन और लॉकरों का नियमित कीटाणुशोधन करते हुए छात्रों के लॉकर उपयोग में बने रहेगें।

झ. व्यायामशालाएं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा–निर्देशों का पालन करेंगी। जिसके बारे में विस्तृत जानकारी https://www.mohfw.gov.in/pdf/Guidelinesonyogainstitutesandgymnasiums03082020.pdf पर उपलब्ध है।

ट. स्विमिग पूल (जहां भी लागू होगा) बंद रहेगा।

ठ. कर्मचारियों और विद्यार्थियों के लिए साइनेज (चेतावनी संकेतक), पोस्टर और स्टैंडी के माध्यम से 'क्या करें और क्या न करें' प्रदर्शित किए जाएगे।

ड. शिक्षण/प्रशिक्षण संस्थानों को खोलने के बाद प्रवेशद्वार पर पालन किए जाने वाले नियमों का पालन किया जाएगा।

ढ़. प्रवेशद्वार पर अनिवार्य हाथों की स्वच्छता (सैनिटाइजर डिस्पेंसर) और थर्मल स्क्रीनिग प्रावधान किया जाएगा।

ण. यदि संभव हो, शारीरिक दूरी के मानदंड को बनाए रखते हुए कोई एक फाटक/अलग–अलग फाटकों का उपयोग प्रवेश और निकास के लिए किया जाएगा।

ख) गतिविधियों की सरणी और योजना

क. भीड़–भाड़, मंडली आदि से बचने के उद्देश्य से अकादमिक कैलेंडर की योजना बनाई जाएगी। जहां तक संभव हो, अकादमिक कैलेंडर को नियमित कक्षाओं और ऑनलाइन शिक्षण/प्रशिक्षण, मूल्यांकन को बढ़ावा दिया जाएगा।

ख. शिक्षण/प्रशिक्षण गतिविधियों का संचालन चरणबद्ध तरीके से दिनवार, समय–वार के आधार पर किया जाएगा, ताकि किसी भी दिन किसी एक स्थान पर भीड़भाड़ न हों।

ग. प्रयोगशालाओं में व्यावहारिक गतिविधियों के लिए प्रतिदेय स्थान के आधार पर प्रति सत्र अधिकतम क्षमता, नियोजित और तदनुसार नियत की जा सकती है।

घ. सभी कर्मचारी जो कि उच्च जोखिम से पीड़ित हैं जैसे कि वृद्ध कर्मचारी, गर्भवती महिला कर्मचारी और अंतर्निहित चिकित्सा स्थिति से पीड़ित कर्मचारी। उन्हें अधिमानतः विद्यार्थियों के साथ सीधे संपर्क की आवश्यकता वाले किसी भी प्रथम पंक्ति कार्य (फ्रंट–लाइन) में नहीं आना चाहिए।

ग) आपूर्ति की उपलब्धता और प्रबंधन

क. शिक्षकों और कर्मचारियों को व्यक्तिगत सुरक्षा वस्तुएं जैसे कि फेस कवर/मास्क, नकाब, हैंड सैनिटाइज़र आदि का उचित बैक–अप प्रबंधन उपलब्ध कराया जाएगा।

ख. कोविड पर थर्मल गन, अल्कोहल वाइप्स या एक प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराइट के घोल और डिस्पोजेबल पेपर टॉवल, साबुन, आईईसी सामग्री की पर्याप्त आपूर्ति प्रदान कराई जाएगी।

ग. किसी भी रोगग्रस्त व्यक्ति के ऑक्सीजन संतृप्ति स्तर की जांच के लिए पल्स ऑक्सीमीटर की व्यवस्था की जानी चाहिए।

ड. पर्याप्त कवर डस्टबिन या ढक्कन लगे कचरे के डिब्बे की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए।

च. सीपीसीबी दिशानिर्देशों के अनुसार प्रयुक्त व्यक्तिगत सुरक्षा वस्तुओं और सामान्य कचरे के उचित निपटान का प्रावधान https://cpcb.nic.in/uploads/Projects/Bio-Medical-Waste/BMW- GUIDINES-COVID_1.pdf पर उपलब्ध है।

छ. गृहव्यवस्था कर्मचारी (हाउसकीपिग स्टाफ) को अपशिष्ट प्रबंधन और निपटान के मानदंडों के बारे में जागरूक और प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

4.2 शिक्षण/प्रशिक्षण संस्थान खोलने के बाद

क) प्रवेश बिदु पर

क. प्रवेशद्वार पर अनिवार्य रूप से हाथों की स्वच्छता करने (सैनिटाइजर डिस्पेंसर) और थर्मल स्क्रीनिग का प्रावधान किया जाएगा। शारीरिक दूरी बनाए रखने के मानदंडों को अपनाते हुए प्रवेश और निकास के लिए अलग–अलग दरवाजों/ फाटकों का उपयोग किया जाएगा।

ख. परिसर में केवल स्पर्शोन्मुख व्यक्तियों (संकाय, कर्मचारी, विद्यार्थी और आगंतुक) को भीतर आने की अनुमति दी जानी चाहिए। यदि कोई संकाय/कर्मचारी/विद्यार्थी/आगंतुक रोगसूचक पाया जाता है, तो उसे निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में भेजा जाना चाहिए।

ग. कोविड-19 के बारे में निवारक उपायों पर पोस्टर/स्टैंडी को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

घ. पार्किंग स्थल, गलियारे और लिफ्ट में भीड़ प्रबंधन करते हुए विधिवत शारीरिक दूरी के मानदंडों को सुनिश्चित किया जाएगा।

ड. आगंतुकों के प्रवेश को निलंबित/प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।

ख) कक्षाओं में शिक्षण गतिविधियों का संचालन

क. कुर्सियों और डेस्क पर बैठने की व्यवस्था इस तरह से की जाए ताकि पर्याप्त सामाजिक और शारीरिक दूरी बनी रहे।

ख. अलग-अलग समय पर कक्षा की गतिविधियों का संचालन किया जाना चाहिए इसके साथ ही कक्षा के परिसर में पर्याप्त शारीरिक दूरी और कीटाणुशोधन के लिए अनुमति दी जानी चाहिए।

ग. अकादमिक समय-सारणी में नियमित कक्षा शिक्षण और ऑनलाइन शिक्षण/मूल्यांकन का अंतराल होना चाहिए।

घ. शिक्षण संकाय यह सुनिश्चित करेगा, कि वे स्वयं के साथ-साथ विद्यार्थी शिक्षण गतिविधियों के संचालन के दौरान मास्क पहनें।

ड. विद्यार्थों के बीच लैपटॉप, नोटबुक, पैन-पेंसिल आदि जैसी वस्तुओं का आदान-प्रदान नहीं किया जाना चाहिए।

ग) कार्यशालाओं/प्रयोगशालाओं में कौशल-आधारित प्रशिक्षण का आयोजन

क. सुनिश्चित करें कि उपकरण कीटाणुरहित किया जाए, विशेषकर हर बार उपयोग से पहले अक्सर छुई जाने वाली सतहों को कीटाणुशोधन किया जाए।

ख. उपकरण/कार्य स्टेशन पर काम करने के लिए प्रति व्यक्ति 4m2 का मंजिल क्षेत्र सुनिश्चित किया जाए।

ग. यह सुनिश्चित करें कि उपयोगकर्त्ता उपकरणों का उपयोग करने से पहले और बाद में अपने हाथों को साफ करें। इस उद्देश्य के लिए वर्कस्टेशन/सिमुलेशन लैब आदि में हैंड सैनिटाइजर उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

घ) सामान्य क्षेत्र में गतिविधियां–पुस्तकालय, जलपान गृह, सामान्य कक्ष, व्यायामशाला आदि।

क. कम से कम छह फीट की शारीरिक दूरी बनाए रखे जाने की ज़रूरत है।

ख. सामान्य क्षेत्रों का उपयोग करने वाले व्यक्ति को हर समय मास्क/फेस कवर का उपयोग करने की आवश्यकता है।

ग. जहां तक संभव हो जलपान गृह को बंद रखा जा सकता हैं।

घ. जहां भी लागू हो, नकद लेनदेन से बचें और ई–वॉलेट आदि को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

घ) संस्था द्वारा परिवहन व्यवस्था

यदि संस्था द्वारा परिवहन सुविधा का प्रबंधन किया जा रहा है, तो बसों/अन्य परिवहन वाहनों में समुचित शारीरिक दूरी सुनिश्चित की जाएगी और बसों/अन्य परिवहन वाहनों का एक प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराइट के उपयोग से सैनिटाइज़ेशन सुनिश्चित किया जाएगा।

5. स्वास्थ्य और स्वच्छता

क. फ़र्श की रोज़ सफाई की जाएगी।

ख. शौचालयों में साबुन और अन्य सामान्य क्षेत्रों में हैंड सैनिटाइज़र की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए।

ग. कक्षाओं की शुरुआत से पहले और दिन के अंत में सभी कक्षा के कमरों, प्रयोगशालाओं, लॉकर, पार्किंग क्षेत्र, अन्य सामान्य क्षेत्रों आदि की बार-बार छुई जाने वाली सतहों (दरवाज़े के नॉब, लिफ्ट-बटन, हैंड-रेल, कुर्सियां, बेंच, वॉशरूम फिक्सचर, आदि) की सफ़ाई और उनका नियमित रूप से कीटाणुशोधन (डिसइंफेक्शन) एक प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराइट के उपयोग से किया जाएगा।

घ. शिक्षण सामग्री, कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर को सत्तर प्रतिशत अल्कोहल वाइप्स से नियमित रूप से कीटाणुशोधन किया जाएगा।

ड. सभी पीने और हाथ धोने के स्टेशनों, वॉशरूम और लैवेटरी (शौचालय) की उचित सफाई सुनिश्चित की जाएगी।

च. विद्यार्थियों और कर्मचारियों को सलाह दी जानी चाहिए कि वे कक्षाओं, कार्य स्टेशनों और अन्य सामान्य क्षेत्रों में रखे गए अलग-अलग कवर किए गए बिन में इस्तेमाल किए गए फेस कवर या मास्क का डिस्पोजल (निपटान) करें। इन्हें तीन दिनों के लिए डिब्बे में ही संग्रहीत रखा जाये और तत्पश्चात इन्हें काट कतरन करके सूखे सामान्य ठोस-अपशिष्ट के रूप में निपटाया जाए।

छ. स्वास्थ्य सुरक्षा कारणों से विद्यार्थियों को किसी भी सफ़ाई गतिविधियों में शामिल नहीं किया जाए।

6. जोखिम संचार

क. विद्यालय में खाली समय के दौरान और छुट्टी के समय विद्यार्थी एक जगह पर इकट्ठा न हों, यह सुनिश्चित करने के लिए उनके बीच जागरूकता प्रसारित की जाएगी।

ख. विद्यार्थियों में हाथ की स्वच्छता बनाए रखने, श्वसन स्वच्छता, शारीरिक दूरी और मास्क पहनने जैसे सरल निवारक स्वास्थ्य उपायों का पालन करने के लिए जागरूकता उत्पन्न की जाएगी।

ग. चिंता और अवसाद जैसे मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों की रिपोर्ट करने वाले विद्यार्थियों के लिए नियमित परामर्श सुनिश्चित किया जाएगा।

घ. यदि कोई विद्यार्थी, शिक्षक या कर्मचारी बीमार है, तो उन्हें विद्यालय नहीं आना चाहिए और इस संबंध में आवश्यक प्रोटोकॉल का पालन किया जाना चाहिए।

7. चिकित्सीय स्नातकोत्तर छात्रों के लिए अतिरिक्त देखभाल सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

कोविड-19 रोगी देखभाल और आवश्यक गैर-कोविड कार्य में शामिल स्नातकोत्तर मेडिकल विद्यार्थियों को संक्रमण निवारण और नियंत्रण प्रोटोकॉल दिशानिर्देशों से परिचित कराया जाएगा: व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों के तर्कसंगत उपयोग पर दिशानिर्देश

(https://www.mohfw.gov.in/pdf//National%20Guidelines%20for%20IPC%20in%20HCF%20-%20final%281%29.pdf)

(https://www.mohfw.gov.in/pdf/GuidelinesonrationaluseofPersonalProtectiveEquipment.pdf and https://www.mohfw.gov.in/pdf/UpdatedAdditionalguidelinesonrationaluseofPersonalProtectiveEquipmentsettingapproachforHealthfunctionariesworkinginnonCOVID19areas.pdf पर उपलब्ध है।

8. छात्रावास, अतिथि गृह और अन्य आवासीय परिसरों में सुरक्षा सुनिश्चित करना

मास्क/फेस कवर, हाथ की स्वच्छता, श्वसन स्वच्छता, शारीरिक दूरी के मानदंडों और पर्यावरण स्वच्छता के उपयोग से संबंधित ऊपर प्रस्तावित उपाय छात्रावासों और अन्य आवासीय स्थानों में लागू होंगे।

इसके अलावा, छात्रावासों/अतिथि गृह/अन्य आवासीय स्थलों में निम्नलिखित विशिष्ट बिंदुओं का पालन भी किया जाएगा:

क. जो विद्यार्थी शहर/कस्बे के स्थानीय निवासी नहीं हैं या उनके पास घर पर कोई सहायता नहीं है या जिनके पास ऑन-लाइन शिक्षा की सुविधा नहीं है उनके लिए छात्रावास के कमरों का आवंटन किया जा सकता है।

ख. यद्यपि छात्र विभिन्न स्थानों से आ रहे हैं, इसलिए वे कक्षाओं में भाग लेने की अनुमति देने से पहले राज्य सरकार द्वारा क्वारंटाइन की नीति के अनुसार चौदह दिनों की अवधि तक अपने स्वास्थ्य की निगरानी करेंगें या चौदह दिनों की अवधि तक क्वारंटाइन में रहेगें।

ग. छात्रावास में रहने से पहले हर छात्र की स्क्रीनिग की आवश्यकता है। केवल स्पर्शोन्मुख छात्र को आने की अनुमति दी जानी चाहिए। संस्थान में नामित आइसोलेशन/अलगाव सुविधा में रोगसूचक छात्र को अलग किया जाएगा, जब तक कि, चिकित्सक द्वारा उन्हें नहीं देखा जाता है।

घ. छात्रावास के साथ-साथ पार्किंग स्थल जैसे बाहरी परिसरों में उचित भीड़ प्रबंधन- विधिवत रूप से शारीरिक दूरी के मानदंडों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। सभाएं/सम्मलेन निषिद्ध रहेगी।

ड. साझा कमरों/शयनागार (डारमेट्री) में बिस्तर को एक-दूसरे से छह फीट की दूरी पर रखा जाना चाहिए। यदि संभव हो, तो अस्थायी विभाजन पर विचार किया जा सकता है। किसी भी रोगसूचक छात्र को तुरंत एक कमरा दिया जाना चाहिए और फिर आवश्यक चिकित्सा देखभाल प्रदान की जानी चाहिए।

च. मेस सुविधा (भोजनशाला), यदि परिसर के भीतर कोई है, तो हर समय वहां शारीरिक दूरी के मानदंडों का पालन किया जाएगा। भीड़भाड़ रोकने के लिए खाने की टाइमिग (भोजन के समय) सुनिश्चित करने पर काम किया जा सकता है।

7. ज्ञात स्वास्थ्य स्थिति वाले आवश्यक कर्मचारियों को छोड़कर सभी व्यक्तियों के लिए छात्रावास बाधित होगा।

9. विद्यार्थी/शिक्षक/कर्मचारी द्वारा लक्षणों (बुखार, खांसी, सांस लेने में कठिनाई) होने पर मानक संचालन प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

क. बीमार व्यक्ति को एक कमरे या क्षेत्र में रखें जहां वे दूसरों से अलग-थलग हों।

ख. माता-पिता/अभिभावकों को सूचित करें क्योंकि कोविड मामला हो सकता है।

ग. ऐसे समय तक मास्क/फेस कवर पहनकर रोगी अलग-थलग रहेंगे, जब तक कि उनकी जांच चिकित्सक द्वारा न की जाए।

घ. निकटतम चिकित्सा सुविधा (अस्पताल/क्लिनिक) को तुरंत सूचित करें या राज्य या जिला हेल्पलाइन पर कॉल करें।

ड. नामित सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राधिकरण (जिला आरआरटी/उपचार चिकित्सक) द्वारा जोखिम का मूल्यांकन किया जाएगा और तदनुसार मामले के प्रबंधन, उनके संपर्कों और कीटाणुशोधन की आवश्यकता के बारे में आगे की कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए।

च. यदि कोई व्यक्ति सकारात्मक पाया जाता है, तो परिसर को कीटाणुमुक्त किया जाना चाहिए।

छ. यदि छात्रावास/आवासीय भवन में मामलों का समूह पाया जाता है, तो स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारियों को तुरंत सूचित किया जाना चाहिए।